IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

समान नागरिक संहिता : आव□यकता एवं चुनौतियां

1- डॉ हरि चरण अहिरवार
सहा.प्रा. (राजनीति विज्ञान)
शासकीय महाविद्यालय बैकुण्ठपुर जिला रीवा (म.प.)
2- दुबराज सिंह
(शोधार्थी) राजनीति विज्ञान
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,जिला रीवा (म.प.)

सरां□ा (abstract) :– समान नागरिक संहिता (uniform civil code - ucc) भारतीय संवैधानिक विम□र्ा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण , किंतु विवादास्पद विशय है। भारतीय समाज की बहुलतावादी संरचना, विविध धार्मिक आस्थाएं, सांस्कृतिक परंपराएँ तथा व्यक्तिगत कानूनों की बहुलता इसे और अधिक जटिल बनाती है । संविधान के अनुच्छेद–44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है, किन्तु स्वतंत्रता के सात द□ाक बाद भी यह लक्ष्य पूर्णतः साकार नही हो पाया है। यह भाोध–लेख समान नागरिक संहिता की अवधारणा, ऐतिहासिक पृस्ठभूमि , संवधानिक आधार , सामाजिक – कानूनी आव□यकता तथा इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समग्र एवं आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। लेख का उद्देश्य न तो किसी धार्मिक पहचान को नकारना है और न ही किसी वैचारिक पक्ष का समर्थन, बल्कि तर्कसंगता , संतुलित और संवैधानिक दृस्टिकोण से इस विशय का वि□लशण करना है।

मुख्य□ाब्द (key words) :– समान नागरिक संहिता, व्यक्तिगत कानून, भारतीय संविधान, अनुच्छेद–44, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता।

भूमिका (Introduction) :– भारत एक ऐसा राश्ट्र है जो विविधता में एकता के सिद्धान्त पर आधारित है। यहां विभिन्न धर्मो, भाशाओं, जातियों, संस्कृतियों और परंपराओं का सह–अस्तित्व देखने को मिलता है। इसकी विविधता के कारण भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद–लेने जैसे नागरिक मामलों मे अलग–अलग धार्मिक व्यक्तिगत कानून लागू है। हिन्दुओं, मुसलमाना, ईसाइयों, पारसियों तथा अन्य समुदायों के लिए पृथक–पृथक कानून मौजूद है।

समान नागरिक संहिता का विचार इस बहुल व्यवस्था के स्थान पर सभो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करने की बात करता है। यह विचार जितना सरल प्रतीत होता है। व्यवहार में उतना ही जटिल है। इसके समर्थक इस राश्ट्रीय एकता,

लैंगिक न्याय और संवैधानिक समानता का माध्यम मानते हं, जबकि विरोधी इसे धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वायत्तता पर आघात मानते हं।

2. समान नागरिक संहिता की अवधारणा :–

समान नागरिक संहिता का तात्पर्य ऐसे एकीकृत नागरिक कानून से है ,जो सभी भारतीय नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कुछ भी हो। यह कानून मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करता है–

- विवाह
- तलाक
- भरण–पोशण
- उतराधिकार
- गोद–लेना
- संपति संबंधी अधिकार

यह संहिता धार्मिक अनुश्ठानों या पूजा–पद्धतियों में हस्तक्षेप नही करती, बल्कि केवल नागरिक जीवन के धर्मनिरपेक्ष पक्ष को नियंत्रित करती है।

2. अनुसंधान की आव□यकता एवं उद्दे□य :–

2 .1 अनुसंधान की आव□यकता :–

वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता राजनीतिक विम□f का विशय अधिक और अकादमिक विम□f का विशय कम बनती जा रही है। इससे इसके संवैधानिक और सामाजिक आयामों का संतुलित अध्ययन प्रभावित होता है। अतः एक निश्पक्ष, भाोधपरक और तर्कसंगत अध्ययन की आव□यकता है।

2.2 अनुसंधान के उद्दे□य :–

- समान नागरिक संहिता की अवधारणा का सैद्धान्तिक वि□लेशण
- इसके संवैधानिक आधारों का अध्ययन
- व्यक्तिगत कानूनों में विद्यमान असमानताओं की पहचान
- समान नागरिक संहिता के समक्ष उपस्थित चुनौतिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन

2.3 अनुसंधान पद्धति :–

प्रस्तुत भाोध–लेख में वर्णनात्मक एवं वि□लेशणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्त्रोतों में पुस्तकों, शोध–पत्रों और विधि आयोग की रिपोर्टो का उपयोग किया गया है।

3. ऐतिहासिक पृस्ठभूमि

3.1 औपनिवे□िाक काल :–

ब्रिटि□ा भाासन के दौरान भारत में व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया। अंग्रेजों ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप से बचते हुए हिन्दु और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया। इसी काल में पहली बार यह बहस उभरी कि क्या नागरिक मामलों मे एक समान कानून होना चाहिए।

3.2 संविधान सभा में बहस :–

संविधान निर्माण के समय समान नागरिक संहिता पर व्यापक बहस हुआ। डा. बी. आर. अंबेडकर और पं. जवाहर लाल नेहरू जैसे नेता इसके पक्ष में थे जबकि कुछ सदस्यों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के विरूद्ध माना।

अतः इसे मौलिक अधिकार के बजाए राज्य के नीति–निद□ाक सिद्धांतो में भाामिल किया गया।

4. संवैधानिक आधार

4.1 अनुच्छेद –44

अनुच्छेद– 44 कहता है :–

राज्य भारत के समस्त भू – भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनि□िचत करने का प्रयास करेगा।

यह राज्य पर बाध्यकारी नही है, किंतु एक नैतिक –संवैधानिक दायित्व अव□य स्थापित करता है।

4.2 मौलिक अधिकारों से संबंध :–

- अनुच्छेद– 14 : कानून के समक्ष समानता
- अनुच्छेद– 15 : धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निशेध
- अनुच्छेद– 21 : जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

समान नागरिक संहिता इन अधिकारों को सुदृढ़ करने का माध्यम बन सकती है।

5. भारत में वर्तमान व्यक्तिगत कानूनों की स्थिति

5.1 हिन्द् व्यक्तिगत कानून :–

हिन्द् विवाह अधिनियम, हिन्द् उत्तराधिकार अधिनियम आदि के माध्यम से काफी हद तक संहिताबद्ध है। समय–समय पर सुधार भी हुए है, जैसे पुत्री को उत्तराधिकार में समान अधिकार।

5.2 मुस्लिम व्यक्तिगत कानून :–

मुख्यतः भारीयत पर आधारित है। हाल के वर्शों में तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं पर विधायी हस्तक्षेप हुआ, किंतु अभी भी कई क्षेत्रों में लंगिक असमानता की आलोचना होती है।

5.3 ईसाई और पारसी कानून

इन समुदायों के भी अलग–अलग नागरिक कानून है, जिनमें कुछ प्रावधान आधुनिक संवैधानिक मूल्यों से मेल नही खाता ।

6. समान नागरिक संहिता की आव�यकता

6.1 लैंगिक समानता की स्थापना :–

अनेक व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं को पुरुशों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त हैं। समान नागरिक संहिता महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनि�चत कर सकती है।

6.2 राश्ट्रीय एकता और अखंडता :–

एक समान कानून नागरिकों में समानता की भावना विकसित करता है और संकीर्ण सामुदायिक पहचान से ऊपर उठने में सहायक हो सकता है।

6.3 आधुनिक और प्रगतिशील समाज का निर्माण :–

समाज निरंतर परिवर्तन�ील है। समान नागरिक संहिता सामाजिक सुधार का एक प्रभावी एक प्रभावी माध्यम बन सकती ह।

6.4 न्यायिक सरलता :–

अलग–अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रकिया जटिल हो जाती है। एक समान कानून से न्यायिक दक्षता बढ़ सकती है।

7. समान नागरिक संहिता के समर्थन में तर्क :–

1. संविधान की भावना के अनुरूप
2. महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा
3. धर्मनिरपेक्षता को सुदृढ़ करना
4. समाजिक कुरीतियों का उन्मूलन

8. समान नागरिक संहिता के समक्ष चुनौतियां :–

8.1 धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता :–

भारत में धर्म केवल आस्था नही, बल्कि जीवन पद्धति है। किसी एकरूप कानून को सभी पर थोपना व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है।

8.2 अल्पसंख्यकों की आ□ांकाएं :–

अल्पसंख्यक समुदाय इसे बहुसंख्यक संस्कृति का प्रभुत्व मान सकते है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है।

8.3 राजनीतिकरण :–

समान नागरिक संहिता अक्सर राजनीतिक विम□ा का विशय बन जाती है , जिससे इसका निश्पक्ष मूल्यांकन कठिन हो जाता है।

8.4 व्यावहारिक क्रियान्वयन :–

दे□ा के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियां भिन्न है। एक समान कानून का समान रूप से क्रियान्वयन चुनौती पूर्ण है।

9. गोवा मॉडल :– एक उदाहरण :–

गोवा में एक प्रकार की समान नागरिक संहिता लागू है, जहॉं सभी धर्मों के लिए विवाह और उत्तराधिकार संबंधी कानून लगभग समान है। यद्यपि यह पूर्ण रूप से आद□ा नही है, फिर भी यह दिखाता है कि समान कानून व्यवहार में संभव है।

10. न्यायपालिका की भूमिका :–

भारतीय न्यायपालिका ने समय–समय पर समान नागरिक संहिता की आव□यकता पर बल दिया है। विभिन्न निर्णयों में न्यायालय ने इसे संवैधानिक लक्ष्य के रूप में रेखांकित किया है।

11. भविश्य की दि□ा :–

1. व्यापक जन–संवाद और सहमति निर्माण
2. चरणबद्ध और वैकल्पिक मॉडल
3. धार्मिक नेताओं और नागरिक समाज की भागीदारी
4. लैंगिक न्याय को प्राथमिकता

12. निश्कर्श (conclusion) :–

समान नागरिक संहिता न तो किसी धर्म के विरूद्ध है और न ही किसी संस्कृति को नस्ट करने का प्रयास । इसका मूल उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान न्याय प्रदान करना है। यद्यपि इसके समक्ष अनेक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चुनौतियां है, फिर भी संवाद,संवैधानिक मूल्यों और संवेदन□ील दृस्टिकोण के माध्यम से इसे साकार किया जा सकता है । समान नागरिक संहिता भारत को एक अधिक समतामूलक, न्यायपूर्ण और आधुनिक राश्ट्र बनाने की दि□ा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।

संदर्भ सूची (Bibliography) :–

1. Ambedkar, B. R. (1949). *Constituent Assembly Debates*. Government of India.

2. Agnes, F. (2011). *Law and gender justice: The politics of women's rights in India*. Oxford University Press.

3. Jain, M. P. (2018). *Indian constitutional law* (8th ed.). LexisNexis.

4. Law Commission of India. (2018). *Consultation paper on reform of family law*. Government of India.

5. The Constitution of India. (1950). Government of India.